न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद संख्या :– 05/2022

शीर्षक

1. गिरधारी सिंह उम्र–66 वर्ष पुत्र जयसिंह व सायर कंवर जाति राजपूत, निवासी मौहल्ला हवेली मु0 पो0 खोजास तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान।

–वादी

बनाम

1. रामसिंह पुत्र अनोप सिंह, जाति राजपूत, निवासी बाडीजोडी, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर, राज0।
2. सचिव महात्मा ज्योतिबा फूले विद्यापीठ समिति चौमू, तहसील चौमू, जिला जयपुर।
3. पटवारी हल्का बाडीजोडी, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर राज0।
4. उपपंजीयक अधिकारी–शाहपुरा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत् इस्तकरारहक घोषणा खातेदारी दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित – 1 श्री रविशंकर अग्रवाल अधिवक्ता – वादीगण की ओर से

निर्णय दिनांक 10/2/2023

वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 30 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, 171 रकबा 7 बिस्वा, 204/1 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा, 205 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, 419 रकबा 2 बिस्वा, 420 रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा किता–6 रकबा 15 बीघा 7 बिस्वा ग्राम बाडीजोडी तत्कालीन तहसील विराटनगर हाल शाहपुरा स्थित है जिसके हाल सेटिलमेन्ट कार्यवाही में हाल खसरा नं0–75/932/0.12, 76/0.31, 258/0.08, 319/1.20, 320/0.45, 818/934/0.09, 819/933/0.14, 823/0.07, 824/0.02, 825/1.33 कुल किता–10 रकबा 3.81 है0 निर्धारित किये गये है ग्राम बाडीजोडी शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है। आराजी खसरा नं0– 14 रकबा 32 बीघा 14 बिस्वा ग्राम बाडीजोडी तह0शाहपुरा स्थित है जिसके हाल सेटिलमेन्ट कार्यवाही में हाल खसरा नं0–39/2.19, 40/1.69, 41/1.65, 42/1.16, 43/1.29 कुल किता– 5 रकबा 7.98 है0 निर्धारित किये गये है ग्राम बाडीजोडी तह0 शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है।। आराजी खसरा नंबर 528 रकबा एक बिस्वा गैर मु0 चाह ग्राम बाडीजोडी तत्कालीन तहसील विराटनगर जिसके हाल सेटिलमेन्ट में हाल खसरा नं0–738/0.01 गैर मुमकिन चाह निर्धारित किये गये है ग्राम बाडीजोडी तहसील, शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित है। आराजी खसरा नम्बर 527/1 रकबा एक बीघा ग्राम बाडीजोडी तहसील तत्कालीन बैराठ जिसके हाल सेटिलमेन्ट में हाल खसरा नं0– 739/0.28 है0 निर्धारित किये गये है ग्राम बाडीजोडी तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित है। साबिक खसरा नम्बर 206 रकबा 1 बिस्वा गैर मु0 चाह 208 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा ग्राम बाडीजोडी तत्कालीन तह0 विराटनगर स्थित है जिसके हाल सेटिलमेन्ट मे हाल खसरा नं0– 321/0.03 गैर मु0 चाह 326/0.30 कुल किता–2 रकबा 0.33 है0 निर्धारित किये गये है ग्राम बोडीजोडी तह0 शाहपुरा स्थित है। वादी व प्रतिवादी सं0–1 एक ही परिवार के सदस्य है जिनका सबसे बडा बुजुर्ग रामनाथ सिंह था जिसका सजरा खानदान निम्न प्रकार है।

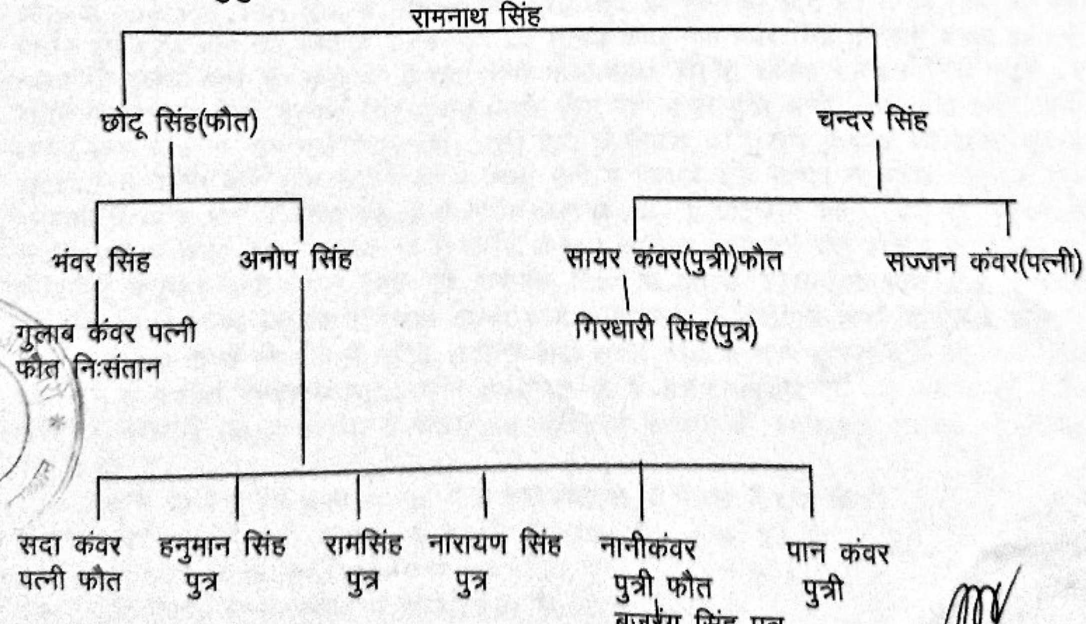

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

वाद पत्र में वर्णित साबिका आराजी की 1/2 भाग की खातेदारी वादी के नाना चन्दरसिंह पुत्र रामनाथ सिंह व 1/4 भाग की खातेदारी तोफ सिंह पुत्र छोटूसिंह व 1/4 भाग की खातेदारी गुलाब कंवर बेवा भंवर सिंह के नाम दर्ज रही है। वाद पत्र में वर्णित भूमि हाल खसरा नं0–39, 40, 41, 42, 43 ग्राम बाडीजोडी तह0 शाहपुरा के 1/7 भाग की खातेदारी वादी के नाम चन्दर सिंह के नाम हाल सेटिलमेन्ट में मिसल सं0–383/83 फैसला दिनांक 17.06.83 को ए0एस0ओ0 सा0 के निर्णय के द्वारा दर्ज की गयी नकल खतौनी भू–प्रबंध खाता सं0–15 सं0–2039 संलग्न वाद पत्र है। वाद पत्र में वर्णित साबिका खसरा नं0–527/1 रकबा 1 बीघा में वादी के नाना चन्दर सिंह के नाम 1/2 भाग की खातेदारी दर्ज रही है। वाद पत्र में वर्णित आराजी साबिका खसरा नं0 206 रकबा 1 बिस्वा गैर मु0 चाह 208 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा में वादी के नाना चन्दर सिंह के नाम 1/4 भाग की खातेदारी दर्ज रही है। वादी के नाना चन्दरसिंह के कोई जायन्दा पुत्र नहीं था न ही मृतक चन्दरसिंह व उसकी पत्नि ने कभी किसी को गोद ही लिया । मृतक चन्दरसिंह के एक पुत्री सायरकंवर वादी की माता थी जो फौत हो गयी वादी मृतक सायरकंवर का पुत्र है व मृतक चन्दरसिंह का दोयता होने से चन्दरसिंह का वारिस व उत्तराधिकारी है। प्रतिवादी सं0 1 जो कि अनोपसिंह का पुत्र है ने वादी व अन्य की बिना जानकारी के गुप्त व पोशीदा रूप से राजस्व कर्मचारियों व हॉल सेटलमेन्द कर्मचारियों से मिलकर व बिना किसी अधिकारी अधिकार के उक्त वर्णित आराजी को अपने आपको चन्दरसिंह का पुत्र दर्शाते हुए स्वंय व गुलाबकंवर पत्नि भंवरसिंह के नाम खातेदारी दर्ज करवायी जो कि गलत व नियम विरूद्व है।

प्रतिवादी सं0–1 जो कि अनोप सिंह का पुत्र है ने अपने आपको नाजायज लाभ प्राप्त करने व वादी को सआशय नुकसान कारित करने की नीयत से वाद पत्र में वर्णित आराजी खसरा नंबर 39, 40, 41, 42, 43 किता–5 रकबा 7.98 है0 के चन्दर सिंह के नाम अंकित 1/7 भाग की भूमि का विरासत नामान्तकरण सं0–119 दिनांक 30.09.97 को अपने आपको चन्दर सिंह का दत्तक पुत्र दर्शाते हुए अपने नाम करवाकर प्रतिवादी संख्या 2 को दिनांक 10.11.2021 को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र बेचान कर दी, प्रतिवादी सं0–1 ने प्रतिवादी सं0 2 को कोई कब्जा नहीं संभलाया न ही प्रतिवादी सं0–1 का कभी कब्जा रहा व चन्दर सिंह का दत्तक पुत्र नहीं रहा है।दिनांक 17.11.2021 को प्रतिवादी सं0 2 ने बमदद प्रतिवादी सं0 1 वादी को उक्त भूमि से जबरन बेदखल करने व स्वंय खरीद करना बताते हुये जबरन कब्जा करने व प्रतिवादी सं0 1 ने अन्य भूमि की खातेदारी अपने नाम होना बताते हुये अन्य दीगर को रहन हस्तान्तकरण करने व वादी को बेदखल करने की धमकी दी ।

वादी मृतक चन्दर सिंह की पुत्री सायर कंवर का पुत्र है जो मृतक चन्दर संह का वारिस व उत्तराधिकारी है व चन्दर सिंह के नाम अंकित भूमि पर चन्दर सिंह के समय से काबिज रहकर काश्त व उसका उपयोग व उपभोग करता आ रहा है। हाल आराजी खसरा नम्बर 258, 319, 320, 75/932, 76, 818/934, 819/933, 823, 824, 825 किता–10 रकबा 3.81 है0 की वर्तमान खातेदारी रामसिंह पुत्र चन्दर सिंह 1/4 भाग हाल खसरा नम्बर– 39, 40, 41, 42, 43 किता–5 रकबा 7.98 है0 के 1/7 भाग की खातेदारी रामसिंह दत्तक पुत्र चन्दर सिंह हाल आराजी खसरा नं0 738 रकबा 0.01 है0 गैर मु0 चाह के 1/6 भाग की खातेदारी रामसिंह पुत्र चन्दर सिंह हाल आराजी खसरा नं0–321, 326 किता–2 रकबा 0.33 है0 के 1/4 भाग की वर्तमान खातेदारी प्रतिवादी रामसिंह दत्तक पुत्र चन्दर सिंह के नाम दर्ज है वह गलत है तथाकथित इन्द्राज दुरूस्त किया जाकर वादी मृतक चन्दर सिंह का वादी वारिस होने से खातेदारी दुरूस्त कराने का अधिकारी है आराजी खसरा नम्बर 739 रकबा 0.28 है0 के 1/2 भाग की वर्तमान मृतक चन्दर सिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसका वादी वारिस व खातेदार काश्तकार है। वादपत्र की खण्ड सं0 1 में वर्णित साबिका आराजी के 1/2 भाग की खातेदारी वादी के नाना चन्दर सिंह पुत्र रामनाथ सिंह 1/4 भाग की खातेदारी तोपसिंह पुत्र छोटू सिंह 1/4 भाग की खातेदारी गुलाब कंवर बेवा भंवरसिंह के नाम दर्ज रही है हाल सेटिलमेन्ट कार्यवाही में प्रतिवादी सं0– 1 ने चन्दर सिंह के नाम अंकित 1/2 भाग की भूमि को स्वयं को चन्दर सिंह का पुत्र दर्शाते हुए 1/4 भाग की स्वयं व 1/4 भाग की गुलाब कंवर बेवा भंवर सिंह के नाम करवा ली जो गलत थी गुलाब कंवर की मृत्यु के पश्चात उसके नाम गलत रूप से अंकित 1/4 भाग की भूमि की खातेदारी नारायण सिंह, हनुमान सिंह पुत्रान अनोप सिंह पान कंवर पुत्री अनोप सिंह सदा कंवर पत्नी अनोप सिंह ने अपने नाम दर्ज करवा ली । इस वाद के विवाद का कारण वादपत्र की खण्ड सं0–1 लगा0 5 में वर्णित भूमि ग्राम बाडीजोडी में स्थित होने व जिसके इस खण्डों में वर्णित अनुसार हाल नम्बरान निर्धारित होने व खण्ड सं0–6 में वर्णित अनुसार वादी व प्रतिवादी सं0–1 एक ही परिवार के सदस्य होने व खण्ड सं0–7 लगा0 11 में वर्णित अनुसार साबिका खातेदारी दर्ज होने व खण्ड सं0–12 में वर्णित अनुसार वादी चन्दर सिंह पुत्र रामनाथ सिंह का वारिस व उत्तराधिकारी होने व खण्ड सं0–13, 14 में वर्णित अनुसार प्रतिवादी सं0–1 द्वारा गलत रूप में खातेदारी अपने व गुलाब कंवर के नाम करवाने व खण्ड सं0–15 में वर्णित अनुसार वादी चन्दर सिंह के नाम अंकित भूमि को चन्दर सिंह के समय से काबिज रहकर काश्त करने व खण्ड सं0 16 में वर्णित अनुसार प्रतिवादी सं0–1 द्वारा बिना अधिकार प्रतिवादी सं0–2 के पक्ष में विकय पत्र पंजीकरण करवाने के फलस्वरूप उत्पन्न होकर अन्दर मियाद पेश है।

वादी प्रार्थी है कि वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विपक्ष में एक डिकी बाबत इस्तकरारहक घोषणा खातेदारी/दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा इस अमर की प्रदान करे कि 258/0.08, 319/1.20, 320/0.45, 75/932/0.12, 76/0.31, 818/934/0.09, 819/933/0.14, 823/0.07, 824/0.02, 825/1.33 किता–10 रकबा 3.81 है0 ग्राम बाडीजोडी के 1/4 भाग की वर्तमान दर्ज

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

खातेदारी रामसिंह पुत्र चन्दर सिंह व हाल आराजी खसरा नं0 39/2.19, 40/1.69, 41/1.65, 42/1.16, 43/1.29 है0 किता–5 रकबा 7.98 है0 ग्राम बाडीजोडी के 1/7 भाग की वर्तमान दर्ज खातेदारी रामसिंह दत्तक पुत्र चन्दर सिंह व हाल खसरा नं0–738/0.01 है0 गैर मु0 चाह ग्राम बाडीजाडी के 1/6 भाग की वर्तमान खातेदारी रामसिंह पुत्र चन्द सिंह व हाल खसरा नम्बर 321/0.03, 326/0.30 किता–2 रकबा 0.33 है0 ग्राम बाडीजोडी के 1/4 भाग की वर्तमान दर्ज खातेदारी रामसिंह दत्तक पुत्र चन्दरसिंह व हाल खसरा नं0 739/0.28 है0 ग्राम बाडीजोडी के 1/2 भाग की दर्ज वर्तमान खातेदारी चन्दरसिंह पुत्र रामनाथ सिंह को हजफ फरमाई जाकर उपरोक्त हिस्से की भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उसका हाल राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जावे। प्रतिवादीगण उनके नौकर, प्रतिनिधि, एजेन्ट, स्थानापन्नों आदि को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से सदैव के लिए पाबन्द फरमाया जावे कि वे हाल आराजी खसरा नं0–258/0.08, 319/1.20, 320/0.45, 75/932/0.12, 76/0.31, 818/934/0.09, 819/933/0.14, 823/0.07, 824/0.02, 825/1.33 किता–10 रकबा 3.81 है0 ग्राम बाडीजोडी के 1/4 भाग हाल आराजी खसरा नं0 39/2.19, 40/1.69, 41/1.65, 42/1.16, 43/1.29 है0 किता–5 रकबा 7.98 है0 ग्राम बाडीजोडी के 1/7 भाग हाल खसरा नंबर 738/0.01 है0 गैर मु0 चाह ग्राम बाडीजोडी के 1/6 भाग हाल आराजी खसरा नं0 321/0.03, 326/0.30 किता–2 रकबा 0.33 है0 ग्राम बाडीजोडी के 1/4 भाग व हाल आराजी खसरा नं0 739/0.28 है0 ग्राम बाडीजोडी के 1/2 भाग पर वादी के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मजामहत पैदा नहीं करें, प्रतिवादीगण उक्त भूमि या इसके किसी भाग को अन्य दीगर को रहन विक्रय हस्तान्तरण नहीं करे न किसी स्थानान्तरण डीड का पंजीकरण करावे न ही राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करावे मौके व राजस्व रिकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखे। वादीगण को प्रतिवादीगण से हर्जा–खर्चा दिलवाया जावे।

वादी के द्वारा वाद पत्र पेश किये जाने पर विधिवत दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण सं0 1 की ओर से श्री रणवीर कपूरिया एडवोकेट ने अण्डर टेंकिग दी तथा बाद में पैरवी नहीं करना जाहिर किया जाने पर विधिवत एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी की ओर से स्वंय वादी गिरधारीसिंह तथा हनुमान सिंह, गोकुलसिंह, बजरंगसिंह पूरणचन्द के शपथ पत्र पेश किये तथा वादी के द्वारा पेश किये दस्तावेजात पर प्रदर्श डलवाये गये ।

प्रकरण में वकील वादी ने अपनी एकपक्षीय बहस में वादपत्र में अंकित तथ्यों को जाहिर करते हुए दावा वादी के हक मे डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । वादी के नाना चन्दरसिंह पुत्र रामनाथ के नाम साबिक आराजी ख0नं0 30, 171, 204/1, 205, 419, 420 कुल किता 6 रकबा 15 बीघा 70 बिस्वा भूमि वाके ग्राम बाडीजोडी खतौनी बन्दोस्त सं0 2012 से 2027 में दर्ज रही है जिसके हॉल ख0नं0 75/932 रकबा 0.12 है0, 76 रकबा 0.31 है0, 258 रकबा 0.08 है0, 319 रकबा 1.20 है0, 320 रकबा 0.45 है0, 818/934 रकबा 0.09 है0, 819/933 रकबा 0.14 है0, 823 रकबा 0.07 है0, 824 रकबा 0.02 है0, 825 रकबा 1.33 है0 कुल किता 10 रकबा 3.81 है0 कामम किया जाना मिलान क्षैत्रफल से साबित होता है। साबिक आराजी ख0नं0 14 रकबा 32 बीघा 14 बिस्वा भूमि के हॉल सेटलमेन्ट में हॉल ख0नं0 39 रकबा 2.19 है0, 40 रकबा 1.69 है0, 41 रकबा 1.65 है0, 42 रकबा 1.16 है0, 43 रकबा 1.29 है0 कुल किता 5 रकबा 7.98 है0 कायम किया जाना तथा साबिक ख0नं0 528 रकबा एक बिस्वा गै0मु0 चाह के हॉल ख0नं0 738 रकबा 0.01 है0 कायम किया जाना तथा साबिक आराजी ख0नं0 527/1 रकबा 1 बीघा के हॉल ख0नं0 739 रीकबा 0.28 है0 कायम किया जाना व साबिक ख0नं0 206 रकबा 1 बिस्वा, 208 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा के हॉल ख0नं0 321 रकबा 0.03 है, 326 रकबा 0.30 है0 कायम किया जाना मिलान क्षैत्रफल से साबित होता है। साबिक राजस्व रिकार्ड के अवलोकन करने पर पाया गया कि साबिक आराजी ख0नं0 30, 171, 204/1, 205, 419, 420 जमाबन्दी सं0 2012 से 2027 में वादी के नाना चन्दरसिंह पुत्र रामनाथसिंह के हिस्से 1/4 तथा साबिक आराजी ख0नं0 14 के हॉल कायम किये गये ख0नं0 39 से 43 वादी के नाना चन्दसिंह पुत्र रामनाथसिंह के हि0 1/7 जरिये सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी मि0सं0 383/83 फैसला दिनंक 17.6.86 के द्वारा भू प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी जमाबन्दी के खाता सं0 15 में नाम दर्ज होना साबित होता है। साबिक ख0नं0 528 व 527/1 वादी के नाना चन्दरसिंह के नाम दर्ज होना जमाबन्दी सं0 2032 से 2035 साबित होता है । आराजी साबिक ख0नं0 206 व 208 की खातेदारी वादी के नाना चन्दरसिंह के नाम हिस्सा 1/4 दर्ज होना जमाबन्दी सं0 2032 से 2035 साबित होता है।

उक्त वादी के नाम साबिक व भू प्रबन्ध विभाग द्वारा कायम किये गये हॉल खसरा नम्बर में प्रतिवादीसं0 1 के नाम व गुलाब कंवर बेवा भंवरसिंह के नाम दर्ज होना साबित होता है। वादीके द्वारा प्रस्तुत सजरा खानदान के अनुसार चन्दसिंह के एक पुत्री तथा पत्नी सज्जनकंवर ही वारिस है । चन्दरसिंह की पत्नि सज्जनकंवर फौत होने से उनकी पुत्री सायर कंवर जो भी फौत होने से सायर कंवर का पुत्र गिरधारीसिंह ही एक मात्र वारिस है। राजस्व रिकार्ड मे प्रतिवादी सं0 1 के द्वारा अपने व गुलाबकंवर के नाम भूमि दर्ज करवाना साबित होता है चूंकि प्रतिवादी सं0 1 रामसिंह वादी के नाना चन्दसिंह के भाई छोटूसिंह का पुत्र है तथा प्रतिवादी को जरिये नोटिस तामिल होने के बावजूद प्रकरण में उपस्थित होकर कोई जवाब दावा व दस्तावेज पेश नही किये है जबकि प्रतिवादी सं01 की ओर से दिनांक 10.3.2022 को उनके अधिवक्ता ने उपस्थित होकर अण्डर टंकिग पेश की है। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात में ग्राम पंचायत बाडीजोडी द्वारा जारी कुर्सीनामा का अवलोकन करने पर

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

भी चन्द्रसिंह के वारिस उनकी पत्नि सज्जनकंवर व पुत्री सायर कंवर होना बताया है तथा उक्त दोनों फोत होने पर उनके वारिस वादी गिरधारी सिंह को ही बताया है। वादी द्वारा पेश किये गये शपथपत्रों में भी वादी के वादपत्र मे उल्लेखित तथ्यों को मुख्यपरीक्षण में पेश कर जाहिर किया गया है।इस प्रकार प्रकार पत्रावली में पेश साबिक व हॉल रिकांर्ड के आधार पर वादी के नाना चन्दरसिंह के नाम दर्ज भूमि प्रतिवादी सं0 1 व गुलाब कंवर के नाम गलत रूप से दर्ज होना साबित होने से वादी के हक में डिकी किया जाना उचित समझते है।

अतः दावा वादीगण के हक में डिकी किया जाता है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 75/932 रकबा 0.12, 76 रकबा 0.31, 258रकबा 0.08, 319 रकबा 1.20, 320 रकबा 0.45, 818/934 रकबा 0.09, 819/933 रकबा 0.14, 823 रकबा 0.07, 824 रकबा 0.02, 825 रकबा 1.33 कुल किता–10 रकबा 3.81 है0 के 1/4 हिस्सा , हॉल ख0नं0 39 रकबा 2.19 है0, 40 रकबा 1.69 है0, 41 रकबा 1.65 है0, 42 रकबा 1.16 है0, 43 रकबा 1.29 है0 कुल किता 5 रकबा 7.98 है0 दर्ज हिस्सा 1/7 व खसरा नम्बर 738 रकबा 0.01 है0 में 1/6 हिस्सा, खसरा नम्बर 321 रकबा 0.03 है0, 326 रकबा 0.30 है0 कुल किता 2 रकबा 0.33 है0 में दर्ज 1/4 हिस्सा ,तथा खसरा नम्बर 739 रकबा 0.28 है0 में दर्ज 1/2 हिस्सा वाके ग्राम बाडीजोडी तहसील शाहपुरा से प्रतिवादी सं0 1 रामसिंह पुत्र चन्दरसिंह का नाम हजफ कर उसके स्थान पर वादी गिरधारीसिंह पुत्र जयसिंह जाति राजपूत निवासी हवेली मु0पो0खोजास तहसील डीडवाना जिला नागौर को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादह के हिस्से में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करे शांति पूर्वक उपयोग व उपभोग करने देवे । तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावे । पर्चा डिकी जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10/2/2023 को सरै इजलास सुनाया गया ।

(मनमोहन मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस
वाद संख्या :– 05/2022

शीर्षक

1 गिरधारी सिंह उम्र–66 वर्ष पुत्र जयसिंह व सायर कंवर जाति राजपूत, निवासी मौहल्ला हवेली मु0 पो0 खोजास तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान।

–वादी

बनाम

1 रामसिंह पुत्र अनोप सिंह, जाति राजपूत, निवासी बाडीजोडी, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर, राज0।
2 सचिव महात्मा ज्योतिबा फूले विद्यापीठ समिति चौमू, तहसील चौमू, जिला जयपुर।
3 पटवारी हल्का बाडीजोडी, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर राज0।
4 उपपंजीयक अधिकारी–शाहपुरा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
5 राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत् इस्तकरारहक घोषणा खातेदारी दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा
उपस्थित – 1 श्री रविशंकर अग्रवाल अधिवक्ता – वादीगण की ओर से

निर्णय दिनांक 10/2/2023

अतः दावा वादीगण के हक में डिक्री किया जाता है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 75/932 रकबा 0.12, 76 रकबा 0.31, 258रकबा 0.08, 319 रकबा 1.20, 320 रकबा 0.45, 818/934 रकबा 0.09, 819/933 रकबा 0.14, 823 रकबा 0.07, 824 रकबा 0.02, 825 रकबा 1.33 कुल किता–10 रकबा 3.81 है0 के 1/4 हिस्सा , हॉल ख0नं0 39 रकबा 2.19 है0, 40 रकबा 1.69 है0, 41 रकबा 1.65 है0, 42 रकबा 1.16 है0, 43 रकबा 1.29 है0 कुल किता 5 रकबा 7.98 है0 दर्ज हिस्सा 1/7 व खसरा नम्बर 738 रकबा 0.01 है0 में 1/6 हिस्सा, खसरा नम्बर 321 रकबा 0.03 है0, 326 रकबा 0.30 है0 कुल किता 2 रकबा 0.33 है0 में दर्ज 1/4 हिस्सा ,तथा खसरा नम्बर 739 रकबा 0.28 है0 में दर्ज 1/2 हिस्सा वाके ग्राम बाडीजोडी तहसील शाहपुरा से प्रतिवादी सं0 1 रामसिंह पुत्र चन्दरसिंह का नाम हजफ कर उसके स्थान पर वादी गिरधारीसिंह पुत्र जयसिंह जाति राजपूत निवासी हवेली मु0पो0खोजास तहसील डीडवाना जिला नागौर को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादह के हिस्से में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करे शांति पूर्वक उपयोग व उपभोग करने देवे । तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावे।

निर्णय आज तारीख 10/2/2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी किया गया ।

उप खण्ड अधिकारी
(मनमोहन मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	